



**थाना लोनी पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार व कब्जे से एक अदद पिस्टल नाजायज गिरफ्तार**

श्री अमित पाठक पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन एवं श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री अतुल कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी लोनी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लोनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये प्राईमरी पाठशाला खडखडी के पास से मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त ओमसेन पुत्र जस्सड नि० ग्राम खडखडी थाना लोनी गा०बाद को मय ०१ अदद पिस्टल .३२ बोर सम्बन्धित मु०अ०स० ४६१/२१ धारा ३०४ भादवि व ७/२७ आर्म एक्ट को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण** - दिनांक १९.०४.२१ को रहस्यमयी परिस्थिति में पूनम ३६ वर्ष पत्नी ओमसेन नि० ग्राम खडखडी थाना लोनी गा०बाद को गोली लगकर घायल हो जाने के कारण यशोदा अस्पताल गाजियाबाद में भर्ती कराया गया था जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा घटना पर स्वयं संज्ञान लेकर उ०नि० श्री पुष्पराज सिंह चौकी प्रभारी चिरौड़ी द्वारा घटना के सम्बन्ध में प्रतिवादी ओमसेन के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इलाज के दौरान पूनम की दिनांक २०.०४.२१ को मृत्यू हो गयी थी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त ओमसेन द्वारा अवैध पिस्टल लाकर घर में रखा गया और साफ सफाई करते समय गोली चल जाने से उसकी पत्नी पूनम घायल हो जाने और इलाज के दौरान मृत्यू हो जाना प्रकाश में आया है।

**पूछताछ का विवरण**

अभियुक्त ओमसेन से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि यह पिस्टल मुझे खेत में पडा मिला था जो मैंने अपने घर में अपनी सुरक्षा के लिये रख लिया था दिनांक १९.०४.२१ को मेरे द्वारा पिस्टल की सफाई करते समय पिस्टल से धोखे से गोली चल गयी और मेरी पत्नी के पेट में लग गयी थी, मैंने अपनी पत्नी को इलाज के लिये यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया था जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यू हो गयी थी।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त एवं आपराधिक इतिहास -**

१. ओमसेन पुत्र जस्सड नि० खडखडी थाना लोनी जनपद गा०बाद
  - १- मु०अ०स० ४६१/२१ धारा ३०४ भादवि व ७/२७ आर्म एक्ट थाना लोनी
  - २- मु०अ०स० ८६१/१५ धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भादवि थाना लोनी
  - ३- मु०अ०स० ५४३/२१ धारा ३/२५ आर्म एक्ट थाना लोनी

**अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-**

एक अदद पिस्टल .३२ बोर नाजायज

